



Neutral Citation No. - 2026:AHC:180492

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 30483 / 2026

कमरुद्दीन उर्फ बेचू

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता:

राम बिलास प्रसाद

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राम बिलास प्रसाद और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रोशन कुमार सिंह को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह जमानत याचिका मुकदमा अपराध संख्या 0177/2026, धारा 85, 80(2), 352, 351(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, 2023), 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पुलिस थाना घोसी, जिला मऊ में मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी मृतक का ससुर है, जिसने घरेलू मामलों पर मामूली विवाद के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। अपीलार्थी को केवल मृतक का ससुर होने के कारण झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके खिलाफ यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि उसने मृत्यु से पहले दहेज की मांग पूरी न होने पर मृतक को परेशान किया था। अपीलार्थी को अन्य परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर सामान्य और अस्पष्ट आरोप लगाकर झूठा फंसाया गया है। आगे यह निवेदन किया जाता है कि विवाह के 7 वर्षों के भीतर अप्राकृतिक परिस्थितियों में हुई मृत्यु के मामले में दहेज हत्या की अनुमानित धारणा लागू करने के लिए, यह दर्शाने के लिए पर्याप्त सबूत होने चाहिए कि मृतक को मृत्यु से ठीक पहले क्रूरता का शिकार बनाया गया था, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं है। अंत में यह निवेदन किया जाता है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कि पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 09.05.2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया लेकिन उपरोक्त तथ्य का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी (ससुर) की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765** मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त अपीलार्थी- **कमरुद्दीन उर्फ बेचू** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप, समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानती प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- i. अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii. अपीलार्थी बिना किसी स्थगन का अनुरोध किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
 - iii. अपीलार्थी जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।
 - iv. अपीलार्थी अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।
7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. बंधपत्र स्वीकार करने से पहले अपीलार्थी और जमानतियों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

9. अपीलार्थी और जमानतदारों के मोबाइल संख्या और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से इस आदेश की डाउनलोड की गई प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसका सत्यापन संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

11. यह निर्देश दिया जाता है कि निचली अदालत अपीलार्थी की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे।

12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति अपीलार्थी को **मऊ जेल अधीक्षक** के माध्यम से ई-मेल या ई-कारागार पोर्टल के द्वारा और विचारण न्यायालय को ई-मोड के माध्यम से 24 घंटे के भीतर भेजे, जो **सर्वोच्च न्यायालय के जमानत मंजूरी की नीतिगत रणनीति** मामले में दिए गए आदेशों के अनुपालन में हो, जिसमें **स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021 निर्णित 31.01.2023** को लिया गया था और **(2024) 10 एससीसी 685** में प्रकाशित हुआ था, साथ ही **पीला पहन @ पीला पहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य** के मामले में, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025 का निर्णय **29.05.2026** को लिया गया था।

13. यदि कोई आवेदन हो, तो उसका निस्तारण कर दिया गया है।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

31 अगस्त, 2026

ए.के.आर.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।